जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल **दिनांक- 01.02.2024**

थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम के साथ मुठभेड के दौरान 03 बदमाश (02 घायल अवस्था में) गिरफ्तार। मौके से घटना में प्रयुक्त गाडी, मोबाइल, नगदी व अवैध शस्त्र बरामद तथा लूट की घटना का अनावरण।

कार्यवाही विवरण :-

जनपद में अपराध की रोकथाम, लूट, चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.01.2024 को थाना नांगल पुलिस को सराय आलम नहर की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि मंडावली की तरफ से एक संदिग्ध गाडी आ रही है। पुलिस टीम द्वारा गाडी को रोकने का प्रयास किया गया तो गाडी में मौजूद बदमाशों द्वारा गाडी को नही रोका गया। पुलिस टीम द्वारा गाडी का पीछा कर गाडी को रोकने का प्रयास किया गया तो भूरिया सोत आश्रम के पास अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा सिखलाये गये तरीके से अपना बचाव करते हुये जवाबी फायर की गयी तो अभियुक्तगण 1- आशू पुत्र गुलफाम निवासी विकास कालोनी वार्ड नम्बर 6, थाना सदर जनपद करनाल हरियाणा 2- गुरप्रीत उर्फ गोपी पुत्र सिमरु सिंह निवासी ग्राम टकोवाला थाना मेहतियाना जनपद होशियारपुर पंजाब के पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा इनका एक अन्य साथी 3- सागर उर्फ अंकित पुत्र राकेश निवासी ग्राम जागसी थाना बरौदा जनपद सोनीपत हरियाणा

को भी गिरफ्तार किया गया। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में आरक्षी 91 प्रवीण देशवाल के बायें बाजू में गोली लगी। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त शेवरले बीट कार, 02 अवैध तमंचे 315 बोर मय 01 जिन्दा व 05 खोखा कारतूस 315 बोर, एक अवैध चाकू व नगदी बरामद की गयी। इस संबंध में थाना नांगल पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हमारे द्वारा दिनांक 28.01.2024 को अपने एक अन्य साथी अमित पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल भवानीपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर के साथ मिलकर थाना नांगल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कामराज पुर में रेडीमेड कपडे की दुकान से दुकानदार को तमंचे से डराकर मोबाइल फोन व नगदी ले गये थे।(**इस संबंध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 17/24 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।)** अभियुक्तों के अन्य साथी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. आशू पुत्र गुलफाम निवासी विकास कालोनी वार्ड नम्बर 6, थाना सदर जनपद करनाल हरियाणा।
2. गुरप्रीत उर्फ गोपी पुत्र सिमरु सिंह निवासी ग्राम टकोवाला थाना मेहतियाना जनपद होशियारपुर पंजाब।
3. सागर उर्फ अंकित पुत्र राकेश निवासी ग्राम जागसी थाना बरौदा जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

1. दो अवैध तमंचे 315 बोर मय 01 जिंदा व 05 खोखा कारतूस 315 बोर।
2. एक अवैध चाकू।
3. घटना में प्रयुक्त शेवरले बीट कार।
4. चार हजार रुपये नगद (संबंधित मु0अ0सं0 17/24)
5. मोबाइल फोन (संबंधित मु0अ0सं0 17/24)
6. एक कोट रंग लाल (संबंधित मु0अ0सं0 17/24)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री अशोक कुमार, थानाध्यक्ष नांगल जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी प्रवीण देशवाल थाना नांगल जनपद बिजनौर।
4. आरक्षी संजय सैनी थाना नांगल जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी अजय कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
6. आरक्षी राजीव कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।
7. आरक्षी अंकित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट - जनपद बिजनौर **दिनांक 01.02.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह जनवरी – 2024 में मा0 न्यायालय द्वारा 67 अभियोगों में 79 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:–

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप **माह जनवरी - 2024** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 67 अभियोगों के 79 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत है।

दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.01.2024 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	सजा का दिनांक	अपराध	सजा का विवरण	अभि0 की सं0
1	हीमपुरदीपा	198/2001	25 आर्म्स एक्ट	03.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1
2	महिला थाना	179/2013	498ए भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट	04.01.24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 7000/- रु0 अर्थदण्ड	1
3	धामपुर	120/2006	25 आर्म्स एक्ट	04.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 800/- रु0 अर्थदण्ड	1
4	नहटौर	400/2011	4/25 आर्म्स एक्ट	05.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
5	धामपुर	1063/2003	4/25 आर्म्स एक्ट	04.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 700/- रु0	1

						अर्थदण्ड	
6	धामपुर	79/2007	3/25 आर्म्स एक्ट	04.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 800/- रु0 अर्थदण्ड	1
7	स्योहारा	716/22	13 जी एक्ट	04.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
8	स्योहारा	610/22	13 जी एक्ट	04.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
9	स्योहारा	697/22	13 जी एक्ट	04.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
10	स्योहारा	33/21	13 जी एक्ट	04.01.24	अन्य	प्रत्येक को न्या0 उठने तक की सजा व 100-100/- अर्थदण्ड	4
11	स्योहारा	359/22	13 जी एक्ट	04.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
12	स्योहारा	677/22	13 जी एक्ट	04.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
13	स्योहारा	100/23	13 जी एक्ट	04.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
14	नुरपुर	689/2006	2/3 गैगस्टर एक्ट	05.01.24	अन्य	2 वर्ष कारावास व 6000/- रु0 अर्थदण्ड	1
15	नगीना	132/99	279/304ए भादवि	05.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1
16	किरतपुर	49/21	302/354 भादवि	05.01.24	जघन्य	आजीवन कारावास व 60000/- रु0 अर्थदण्ड	1
17	किरतपुर	1508/05	279/338/427 भादवि	08.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
18	स्योहारा	255/18	13 जी एक्ट	08.01.24	अन्य	प्रत्येक को न्या0 उठने तक की सजा व 50-50/- रु0	2

						अर्थदण्ड	
19	अफजलगढ	789/20	4/25 आर्म्स एक्ट	08.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1
20	रेहड	165/1999	60/62 आबकारी अधि0	08.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
21	अफजलगढ	601/16	60/62 आबकारी अधि0	09.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
22	स्योहारा	475/17	13 जी एक्ट	09.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
23	नगीना देहात	128/17	4/10 वन अधि0	10.01.24	अन्य	प्रत्येक को न्या0 उठने तक की सजा व 500-500/- अर्थदण्ड	4
24	स्योहारा	626/21	13 जी एक्ट	10.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
25	स्योहारा	1141/09	13 जी एक्ट	10.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 100/- अर्थदण्ड	1
26	नजीबाबाद	684/20	294 भादवि	11.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
27	को0शहर	823/2019	8/20 एनडीपीएस एक्ट	11.01.24	जघन्य	1 वर्ष 3 माह का कारावास व 1000/- अर्थदण्ड	1
28	हीमपुरदीपा	129/20	304 भादवि	11.01.24	जघन्य	7 वर्ष कारावास व 15000/- अर्थदण्ड	1
29	बढापुर	362ए/16	60/62 आबकारी अधि0	11.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 1500/- अर्थदण्ड	1
30	हल्दौर	123/15	452/323/504/506 भादवि	12.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा से दण्डित किया गया	1
31	स्योहारा	191/17	4/25 आर्म्स एक्ट	12.01.24	अन्य	न्या0 बैठने उठने तक की सजा व 1500/- अर्थदण्ड	1

32	हल्दौर	32/98	4/25 आर्म्स एक्ट	15.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 300/- अर्थदण्ड	1
33	हीमपुरदीपा	339/10	4/25 आर्म्स एक्ट	15.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
34	को0शहर	818/95	4/25 आर्म्स एक्ट	16.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 1000/- अर्थदण्ड	1
35	अफजलगढ	317/11	25 आर्म्स एक्ट	16.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
36	नजीबाबाद	132/21	302 भादवि	16.01.24	जघन्य	आजीवन कारावास व 50000/- रु0 अर्थदण्ड	1
37	हल्दौर	158/17	354/294 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट	17.01.24	पॉक्सो	प्रत्येक को 4-4 वर्ष कारावास व 42-42 हजार अर्थदण्ड	2
38	नहटौर	214/20	363/366 भादवि व 17 व3 /4 पोक्सो	17.01.24	पोक्सो	अभि0 1. किशन को 10 वर्ष कारावास व 35 हजार अर्थदण्ड 2.नीरज को 03 वर्ष कारावास व 15 हजार अर्थदण्ड	2
39	अफजलगढ	602/16	60/62 आबकारी अधि0	17.01.24	अन्य	न्या0 उठने की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
40	को0शहर	518/96	4/25 आर्म्स एक्ट	17.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
41	को0शहर	1844/06	25 आर्म्स एक्ट	17.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
42	स्योहारा	490/04	25 आर्म्स एक्ट	18.01.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
43	न0 देहात	118/92	323/504/325 भादवि	18.01.24	अन्य	प्रत्येक को न्या0 उठने तक की सजा व 01-01 हजार जुर्माना	3

44	मण्डावर	22/16	3(1) गैगस्टर एक्ट	19.01.24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 6000/- रु0 अर्थदण्ड	1
45	को0शहर	1092/2000	25 आर्म्स एक्ट	19.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
46	बढापुर	80/2001	411 भादवि	20.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
47	को0शहर	905/99	25 आर्म्स एक्ट	23.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
48	बढापुर	373/2006	4/25आर्म्स एक्ट	23.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
49	बढापुर	504/2003	60/62 आब0अधि0	23.01.24	अन्य	न्या0 उठने तक की सजा व 1000/- अर्थदण्ड	1
50	को0शहर	1063/2009	4/25आर्म्स एक्ट	23.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 400/-रु0 अर्थदण्ड	1
51	नगीना देहात	51/2018	377/511 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट	23.01.24	पॉक्सो	05 वर्ष कारावास व 10,000 /-रु0 अर्थदण्ड	1
52	अफजलगढ	31/18	379/411 भादवि	25.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500 /-रु0 अर्थदण्ड	1
53	कोतवाली शहर	606/20	3/25 आर्म्स एक्ट	29.01.24	अन्य	03 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया	1
54	नगीना देहात	302/20	3/25 आर्म्स एक्ट	29.01.24	अन्य	03 वर्ष कारावास व 5000 /- अर्थदण्ड	1
55	नगीना देहात	303/20	411 भादवि	29.01.24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 3000 /- अर्थदण्ड	1
56	चांदपुर	167/11	3(1) गैंगस्टर एक्ट	30.01.24	(गैंगस्टर)	02 वर्ष कारावास व 5000 /-रु0 अर्थदण्ड	1
57	चांदपुर	371/20	21/22 एनडीपीएस एक्ट	30.01.24	जघन्य (एनडीपीएस)	01 वर्ष 01 माह कारावास व 1000 /-रु0 अर्थदण्ड	1
58	नजीबाबाद	426/18	8/20 एनडीपीएस एक्ट	30.01.24	जघन्य (एनडीपीएस)	01 वर्ष 1 माह कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
59	स्योहारा	1305/08	4/25 आर्म्स एक्ट	30.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1

60	हीमपुरदीपा	34/1986	336/337 भादवि	30.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 300/-रु0 अर्थदण्ड	1
61	चांदपुर	439/22	3/25 आर्म्स एक्ट	31.01.24	अन्य	03 वर्ष एक माह कारावास व 5,000 /-रु0 अर्थदण्ड	1
62	चांदपुर	440/22	3/25 आर्म्स एक्ट	31.01.24	अन्य	03 वर्ष एक माह कारावास व 5,000 /-रु0 अर्थदण्ड	1
63	नगीना देहात	250/20	3(1) गैंगस्टर एक्ट	31.01.24	अन्य	03 वर्ष कारावास व 5,000 /-रु0 जुर्माना	1
64	नहटौर	20/15	4/25 आर्म्स एक्ट	31.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
65	नगीना	247/22	13 जी एक्ट	31.01.24	अन्य	न्याया0 उठने तक की सजा व 200 रु0 अर्थदण्ड	1
66	नगीना	1654/09	4/25 आर्म्स एक्ट	31.01.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
67	नगीना	305/03	60/62 आबकारी अधि0	31.01.24	अन्य	प्रत्येक को न्याया0 उठने तक की सजा व 500-500 रु0 अर्थदण्ड	2

BIJNOR POLICE

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र

माह जनवरी – 2024

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) व महिला परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा वैचारिक मतभेद की वजह से टूटने वाले परिवार के विवादों को निरन्तर सुना जा रहा है। इन विवादों में पुलिस अधिकारी व विभिन्न क्षेत्रों से नामित सदस्यों की ओर से दोनों पक्षों की बातो को विधिवत सुना जाता है तथा सूझ-बूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुए परिवारों को बिखरने से बचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

माह जनवरी – 2024 में **महिला परामर्श केन्द्र, बिजनौर व महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर)** को प्राप्त शिकायतों में परिवार को एकजुट करने की दिशा में **महिला परामर्श केन्द्र द्वारा 30** परिवारों व **महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) द्वारा 34** परिवारों **कुल (64)** के विवादों का निस्तारण किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए रवाना किया गया।

एक नई सुबह की

एक नई सुबह की

एक नई सुबह की

एक नई सुबह की

एक नई सुबह की

एक नई सुबह की

ड्यूटी बोर्ड
पहरा प्रथम -
" द्वितीय -
" तृतीय -
दिवस अधिकारी-
रात्रि अधिकारी-

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर दिनॉक 01.02.2024

थाना नहटौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 21/24 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.01.2024 को वादी श्री विकास कुमार पुत्र शीशराम सिंह नि0 ग्राम जिरौठी थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.केदार पुत्र शीशराम 2.प्रशान्त पुत्र केदार 3.अंकुल पुत्र अमर सिंह द्वारा वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली गलौच की तथा अभियुक्त प्रशांत द्वारा वादी के पुत्र पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया व वादी के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 21/24 धारा 307/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 452 भादवि का लोप किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.02.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 21/24 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त अंकुल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम मुर्शदपुर दिल्ली थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.अंकुल पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम मुर्शदपुर दिल्ली थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री ब्रजराज सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2–हे0का0 359 रवि शंकर थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर दिनॉक 01.02.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 36/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 12.01.2024 को वादिनी श्रीमति सरवेश पत्नी हुकुम सिंह नि0 ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की तथा वादिनी की पुत्री के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 36/24 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम 1.नरसिंह पुत्र धन सिंह 2.मोनू पुत्र धन सिंह 3.गजरा पत्नि धन सिंह पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.02.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 36/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त नरसिंह पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.नरसिंह पुत्र धनसिंह निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2–का0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनाँक 01.02.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 393/23 धारा 379 भादवि व धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रो में वृक्षो का संरक्षण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.09.2023 को वादी श्री पवन कुमार लेखपाल क्षेत्र तरीकमपुर दर्गो थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर ग्राम हुसैनपुर मे तालाब की जमीन से शीशम के पेड को काटकर चोरी करने कर ले जाने के दौरान ट्रैक्टर के रास्ते में फंस जाने के कारण मौके पर ही छोडकर फरार हो गए । तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 393/23 धारा 379 भादवि व धारा 4/10 उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रो में वृक्षो का संरक्षण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त शमीम पुत्र हसीब निवासी मौ0 बुद्धपाडा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शमीम पुत्र हसीब निवासी मौ0 बुद्धपाडा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शमीम पुत्र हसीब निवासी मौ0 बुध्दपाडा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री विक्रान्त कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3.हो0गा0 1098 अरूण कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

**प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ		दिनाँक 01.02.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 473/23 धारा 498ए/354/323/342/504/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.12.2023 को वादिनी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि उसके ससुरालीजन द्वारा दहेज की मांग को लेकर वादिनी के साथ गाली गलौच व मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 473/23 धारा 498ए/354/323/342/504/506 भादवि, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3/4 मुस्लिम महिला अधिनियम बनाम सरताज मौहम्मद (पति) सहित 08 अभियुक्तगण व अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 473/23 धारा 498ए/354/323/342/504/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त दीन मौहम्मद पुत्र इस्माइल निवासी ग्राम बहरामपुर थाना जानी जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

दीन मौहम्मद पुत्र इस्माइल निवासी ग्राम बहरामपुर थाना जानी जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.म0उ0नि0 काजल तेवतिया थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.का0 2453 विकास थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3.का0 293 राहुल थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ **दिनाँक 01.02.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 31/2024 धारा 324/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.01.2024 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्त जसवीर पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम जयनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा वादी कि पत्नी पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया तथा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 307 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 31/2024 धारा 324/504/506/307 भादवि में वांछित अभियुक्त जसवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह नि0 ग्राम जयनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

जसवीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह नि0 ग्राम जयनगर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री नवीन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.का0 240 अभिषेक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 01.02.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैर जमानती वांरट की तामील, वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शेरकोट	कमाल अहमद पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर।
2	शेरकोट	नीरज कुमार पुत्र रोहताश सिंह निवासी मौ0 नौधना कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर।
3	किरतपुर	इन्तजार पुत्र शमीम निवासी मौ0 लुहारान कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर।
4	हल्दौर	रिजवान पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम सैदपुरा बिलाई थाना हल्दौर बिजनौर।
5	को0 देहात	महबूब अंसारी पुत्र नसरुद्दीन निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात बिजनौर।
6	मण्डावर	भूरे पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम मौजम्मपुर सुजान थाना मण्डावर बिजनौर।

थाना शेरकोट

थाना किरतपुर

थाना हल्दौर

थाना को0 देहात

थाना मण्डावर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 01.02.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे हिस्ट्रीशीटर सहित 02 शातिर अभियुक्तों को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस एवं एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व लूट/चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैण्ड के पास लूट की योजना बना रहे अभियुक्तगण 1.मन्सूर पुत्र इदरीश निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2.अजहर पुत्र अलाउददीन निवासी निवासी मौ0 चाहशीरी बी-24 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस तथा एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 401 भादवि व धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम मन्सूर व अजहर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त मन्सूर थाना कोतवाली शहर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसकी हिस्ट्रीशीट सं0 – 201 A है। अभियुक्त अजहर उपरोक्त भी शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली शहर पर गम्भीर धाराओं में दर्जनों से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मन्सूर पुत्र इदरीश निवासी मौ0 चाहशीरी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

2.अजहर पुत्र अलाउददीन निवासी निवासी मौ0 चाहशीरी बी-24 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

एक अवैध चाकू

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त मन्सूर उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 85/2014 धारा 394/395 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 839/2019 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0स0 321/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 470/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 506/2023 धारा 457/342/392/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 523/2023 धारा 307 भादवि व धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर
7. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 401 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त अजहर उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 1147/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 1150/2015 धारा 414 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना कोतवाली शहर बिजनौर
3. मु0अ0सं0 987/2016 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 1358/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 246/2017 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 355/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 391/2017 धारा 398/401 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 392/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 111/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 787/2018 धारा 356 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 811/2018 धारा 18/20 एन0डी0पी0एस0एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 425/2020 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
13. मु0अ0सं0 446/2020 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
14. मु0अ0सं0 534/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
15. मु0अ0सं0 692/2022 धारा 8/15 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
16. मु0अ0सं0 92/2024 धारा 401 भादवि धारा 3/4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोतवाली शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री मीरहसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 2061 अरुण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
4. का0 2510 विजय कुमार थाना कोतवाली शहर बिजनौर
5. का0 1779 मंजीत कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 01.02.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने 05 अभियुक्तों को अवैध पशु कटान करते हुए 05 भैंसवंशीय जीवित पशु, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एक मोटर साईकिल, पशु कटान में प्रयुक्त उपकरण व पशुओं के अवशेष सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध पशु कटान पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चांदपुर पुलिस द्वारा कस्बा चांदपुर में सुल्तान के आहाते से 1-सुल्तान कुरैशी पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2-फईम कुरेशी पुत्र हफीज कुरैशी निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3-सद्दाम कुरैशी पुत्र इसरार निवासी मौहल्ला बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 4-अयाज कुरैशी पुत्र तसलीम निवासी मौ0 बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना चादंपुर जनपद बिजनौर 5-उम्मेद पुत्र हसन इमाम निवासी ग्राम मालवा थाना शिवालाकलॉ जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 जमाईपुरा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को बिना परमिशन के अवैध पशु कटान करते हुए गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से एक कुल्हाडी, चार छुरे, तीन लोहे के हुक, दो चापड, दो छुरी तेज करने वाली रेती, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 05 रस्से, पांच जीवित भैसवंशीय पशु व तथा चार मृत पशुओं के अवशेष व फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल DL7SAD4815 आदि बरामद किया गया। अभियुक्तों के दो अन्य साथी 1-फैजान पुत्र नसीम उर्फ लालू निवासी मौहल्ला कटकुई कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2-सादमान पुत्र सफक्कर निवासी नामालुम मौके का फायदा उठाकर भाग गये, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 57/2024 धारा 420/429/269/270 भादवि व धारा 237 नगर पालिका अधि0 व धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 बनाम सुल्तान आदि उपरोक्त कुल 07 नफर पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-सुल्तान कुरैशी पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2-फईम कुरैशी पुत्र हफीज कुरैशी निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3-सद्दाम कुरैशी पुत्र इसरार निवासी मौहल्ला बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना चांदपुर बिजनौर

4-अयाज कुरैशी पुत्र तसलीम निवासी मौ0 बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना चादंपुर जनपद बिजनौर

5-उम्मेद पुत्र हसन इमाम निवासी ग्राम मालवा थाना शिवालाकलॉ जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 जमाईपुरा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा

एक कुल्हाडी

चार छुरे

तीन लोहे के हुक

दो चापड

दो छुरी तेज करने वाली रेती

05 रस्से

पांच जीवित भैस व तथा चार मृत पशुओं के अवशेष

फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल DL7SAD4815

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

1. अभियुक्त सुल्तान कुरैशी उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 113/2016 धारा 429 भादवि, 11 पशु क्रुरता अधि0, 137 नगरपालिका अधि0 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 थाना चादंपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 554/2017 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अं0सं0 804/2018 धारा 269/270/420/429 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 289/2019 धारा 299 नगर पालिका अधि0, 269/270 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 366/2019 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 114/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 228/2020 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 57/2024 धारा 420/429/269/270 भादवि, धारा 237 नगर पालिका अधि0 व धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.अभियुक्त फईम कुरैशी उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 220/2012 धारा 3/5/8/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 590/2015 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 1955 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना चांदपुर बिजनौर

3. मु0अ0सं0 17/2023 धारा 147/148/323/332/336/353/504/506 भादवि थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
4. मु0अ0सं0 57/2024 धारा 420/429/269/270 भादवि व धारा 237 नगर पालिका अधि0 व धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.अभियुक्त सद्दाम कुरैशी उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 454/21 धारा 323/324/325/504 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 57/2024 धारा 420/429/269/270 भादवि व धारा 237 नगर पालिका अधि0 व धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.अभियुक्त अयाज कुरैशी उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 57/2024 धारा 420/429/269/270 भादवि व धारा 237 नगर पालिका अधि0 व धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

5.अभियुक्त उम्मेद उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 57/2024 धारा 420/429/269/270 भादवि व धारा 237 नगर पालिका अधि0 व धारा 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 233 मौ0 दानिश खान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 464 दिनेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. हे0का0 505 मंजीत सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
5. हे0का0 621 भूदेव सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
6. का0 1116 अवनीश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. का0 88 रजनीश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
8. का0 585 सौरभ पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
9. का0 1504 अनिल दयाल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
10. का0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
11. का0 2585 ब्रिजेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 01.02.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना शिवाला कलां पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता से छेडछाड करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 16.10.2017 को थाना शिवाला कलां क्षेत्र के रहने वाले वादी द्वारा थाना शिवाला कलां पर तहरीर देकर अभियुक्त कोमल पुत्र स्व0 रमेश सैनी निवासी ग्राम आराजी भैसा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की बेटी के साथ छेडछाड करने के संबंध में थाना शिवाला कलां पर मु0अ0सं0 192/17 धारा 354ए भादवि व 8 पॉक्सो अधिनियम बनाम कोमल उपरोक्त पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 01.02.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 192/17 धारा 354ए भादवि व 8 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त कोमल पुत्र स्व0 रमेश सैनी निवासी ग्राम आराजी भैसा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- कोमल पुत्र स्व0 रमेश सैनी निवासी ग्राम आराजी भैसा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 01.02.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गौवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 03 लाख रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 06.11.2021 को थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा ठेरी रोड संगम बैंक्वट हाल के पास अभियुक्त हैदर पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहम्मद नगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर आदि को 40 किलो गौवंशीय मास सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 421/21 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 01.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो द्वारा मु0अ0सं0 421/21 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम के अभियुक्त हैदर पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहम्मद नगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 3,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- हैदर पुत्र अतीक अहमद निवासी मौहम्मद नगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

घटना के संबंध में तत्समय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें।

लग्जरी कार से हो रही थी गोमांस की तस्करी

संवाद सूत्र नूरपुर: पुलिस ने लक्जरी कार में गोमांस बेचने आए युवकों को घेर लिया। युवक कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मीट विक्रेता समेत दो लोगों को गोमांस के साथ दबोच लिया। उनके पास से 40 किलो गोमांस बरामद हुआ है। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शनिवार रात ठेरी मार्ग पर हौंडा सिटी कार में सवार युवक गोमांस की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी शुरु कर दी। कस्बे के मोहम्मद नगर निवासी मीट विक्रेता हैदर और उसके भाई को दबोच लिया। उन्होंने कार सवारों से ही मांस खरीदा था। फरार कार सवार हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव मसीत निवासी रहीस और चेहली निवासी फहीमुद्दीन हैं। पुलिस की ओर से हैदर उसके भाई और रहीस और चेहली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

गोवंश के मांस के साथ दो लोग हिरासत में

नूरपुर | संवाददाता

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दो लोगों को चालीस किलो गौवंशीय मास के साथ हिरासत में लिया है। जबकि दो लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने पकड़े गए लोगों का चालान कर दिया।

प्रभारी निरीक्षक रविंद्र वर्मा के अनुसार एसआई विपिन कुमार हमराह कॉन्स्टेबल अनुज बाना के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ठेरी रोड पर कुछ लोग एक सफेद रंग की कार में गौवंशीय मास बेचने आ रहे हैं। जब वह वहां पहुँचे तो एक सफेद रंग की कार से कुछ लोग एक कट्टा निकाल रहे थे। जिसमें गौवंशीय मास था। पुलिस ने दबिश देते हुए दो लोगों को मौके से चालीस किलो गौवंशीय मास के साथ पकड़ लिया। जबकि दो अन्य लोग कार से फरार हो गए। पकड़े गए लोगों ने अपने नाम हैदर एवं अली पुत्रगण अतीक अहमद निवासी मोहम्मद नगर नूरपुर बताया। जबकि फरार हुए लोगों के नाम रहीस पुत्र हफ़ीज़ निवासी मसीत एवं फहीमुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी चेहली थाना चांदपुर बताया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों लोगों का चालान कर दिया।

कार्रवाई

- कार से मांस बेचने आते समय पुलिस ने की कार्रवाई
- दबिश के दौरान दो युवक भागने में रहे कामयाब

गोमांस के साथ दो आरोपियों को दबोचा, दो फरार

नूरपुर। पुलिस ने गोमांस के साथ दो आरोपियों को दबोच लिया। जिनके पास से तीस किलो गोमांस बरामद हुआ है, जबकि गोमांस की आपूर्ति करने वाले कार सवार दो लोग भाग निकले। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए चालान कर दिया।

रविवार की सुबह पुलिस ने सूचना पर ठेरी रोड पर कार से मांस उतार रहे दो सगे भाई हैदर और अली निवासी मोहल्ला मोहम्मदनगर नूरपुर को पकड़ा गया है। कार में बैठे हीमपुर थाने के गांव मसीत निवासी रहीस और चांदपुर थाने के गांव चेहली निवासी फईमुद्दीन उर्फ मस्ता कार लेकर फरार हो गए। कार सवार इन दोनों आरोपियों को पुलिस नहीं पकड़ सकी। पशु चिकित्साधिकारी की जांच में पकड़ा गया मांस गोवंश का निकला। प्रभारी निरीक्षक रवींद्र कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद